SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

वीर सावरकरः हिंदुत्व की अवधारणा और भारतीय राजनीति

सीतू शुक्ला, शोधार्थी, **आदित्य कुमार सिंह,** पीएच–डी., राजनीति विज्ञान विभाग
स्वामी शुकदेवानंद कॉलेज, शाहजहांपुर, एम. जे. पी. रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
सीतू शुक्ला, शोधार्थी
आदित्य कुमार सिंह, पीएच–डी.
E-mail : seetu121@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 10/04/2025
Revised on : 11/06/2025
Accepted on : 20/06/2025
Overall Similarity : 00% on 12/06/2025

शोध सार

विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें लोकप्रिय रूप से वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है, एक क्रांतिकारी, लेखक और राजनीतिक नेता थे, जिनके विचारों को भारत के सामाजिक–राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव दिखाई दे रहा है। उनके कई योगदानों के बीच, "हिंदुत्व" की अवधारणा का उनका निर्माण एक गहरी प्रभावशाली और वैचारिक ढांचे पर बहस करता है। मूल रूप से उनके 1923 के पैम्फलेट हिंदुत्वाः हू ए हिन्दू राष्ट्रवादी आयामों को शामिल करती है। इसके मूल में, हिंदुत्व केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि एक इतिहास है जो हिंदुओं की पहचान और उनकी मातृभूमि, भारत के साथ उनके संबंधों को परिभाषित करता है। इस शोध पत्र में वीर सावरकरः हिंदुत्व की अवधारणा का भारतीय राजनीति पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द

वीर सावरकर, हिंदुत्व, भारत सरकार, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्म.

प्रस्तावना

धर्म, राजनीति, राष्ट्र, सभ्यता, संस्कृति एवं समाज के विषय में सावरकर का एक विशेष दृष्टिकोण एवं चिंतन था। सावरकर ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश कारागार में व्यतीत करते हुए हिन्दुत्व के उत्थान हेतु कार्य करते रहे। अंडमान की जेल में जब लोग इस्लाम या अन्य धर्म ग्रहण करते तो वे शुद्धीकरण के द्वारा पुनः उस व्यक्ति को हिन्दू धर्म ग्रहण करवाते थे। सावरकर हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान के लिए सदैव सजग रहते हुए हिन्दुत्व की सांस्कृतिक श्रेष्ठता पर बल प्रदान किया। वे हिन्दुत्व को एक उदार जीवन पद्धति के रुप में स्वीकार करते थे। वे कहते थे कि हिन्दुत्व न तो पगड़ी, न ही चोटी और न ही गोमूत्र में निहित है और न ही किसी

ताड़पत्र पर लिखी हुयी पोथी से ही जाना जा सकता है यदि हिन्दुत्व मोक्ष एवं ईश्वर जैसी पारलौकिक समस्याओं एवं तत्वों में व्याप्त है तो कोई विचलित होने वाली बात नहीं है। इह लौकिक जीवन में हिन्दू सामान्य संस्कृति, सामान्य इतिहास, सामान्य धर्म, भाषा, लिपि आदि से बँधे होने के कारण एक राष्ट्र है।'[1]

सावरकर ने अपनी पुस्तक ''हिन्दुत्व'' (प्रकाशन 1923) में हिन्दू को परिभाषित करने का इस प्रकार प्रयास किया हैः

आसिन्धु– सिन्धु –पर्यन्ता यस्य भारत भूमिका।
पितृभः पुण्य भुञ्श्चौव स वै हिन्दुरिति स्मृतः।।

अर्थात्, जो कोई भी व्यक्ति सिंधु से लेकर समुद्र तक फैली हुई इस भारत भूमि को अपनी पितृभूमि एवं पूण्यभूमि मानता है और आधिकारिक रुप से इस तथ्य को अभिव्यक्त करता हैं, वह प्रत्येक व्यक्ति 'हिन्दू' है। सावरकर के उक्त ग्रंथ के अध्ययन से हिन्दुत्व के 3 लक्षणों का ज्ञान प्राप्त होता है जो इस प्रकार हैः

1. हिन्दुत्व के प्रथम लक्षण में सावरकर प्रादेशिक एकता अर्थात भू भागीय एकता को प्रथम स्थान देते हैं। वे मानते है कि जिसके मन में हिमालय से कन्याकुमारी एवं सिंधु' नदी से ब्रहमपुत्र नदी तक के भौगोलिक क्षेत्र के लिए मातृ एवं पितृ भाव निहित है, वह हिन्दू है।
2. द्वितीय लक्षण के अंतर्गत सावरकर ने रक्त प्रवाह को आधार बनाने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि हिन्दू वह है जिनके शरीर में ऐसे लोगों का रक्त संचारित होता है जो वैदिक सप्तसिंधु एवं हिमालय प्रदेश में रहते रहे हो। इसके माध्यम से वह कोई नस्लवाद के सिद्धान्त को स्थापित नहीं कर रहे हैं अपितु वे चाहते हैं कि इस क्षेत्र में शताब्दियों से रहने वाले लोगों में कतिपय ऐसी विशेषतायें स्थापित हो गयी हैं जो चीनियों एवं इथियोपियाइयों में नहीं है। सावरकर का मानना है कि कोई हिन्दू चाहे जिस पंथ, सिद्धान्त, एवं दर्शन को अंगीकार कर ले उसे हिन्दू से अलग तो किया जा सकता है किन्तु देशज होने के कारण उसे हिन्दुत्व से असम्बद्ध नही किया जा सकता है।
3. तृतीय लक्षण के अन्तर्गत सावरकर ने 'संस्कृति' को स्वीकार किया है। वे मानते है कि एक भाषा एक लिपि हिन्दुत्व का लक्षण है। वे मानते है कि जिस व्यक्ति को हिन्दू सभ्यता एवं संस्कृति पर गर्व है, वह हिन्दू है।'[2]

इस प्रकार सावरकर ने राष्ट्रीय एकता, रक्त संबंध, तथा संस्कृति को आधार बनाकर हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। वे हिन्दू राष्ट्र के विषय में स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि 'जो लोग हिन्दू राष्ट्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं वे क्या यह बतलाएंगे कि इंग्लैण्ड, इंटली, जर्मनी आयरलैण्ड आदि देशों में विशेष घटक क्या हैं? यदि उक्त देशों में जो घटक स्थित हैं वे हिन्दू राष्ट्र में भी दिग्दर्शित होते हैं तो आपकों हिन्दू राष्ट्र के अस्तित्व को स्वीकारना होगा। अन्यथा सारे संसार में राष्ट्र नाम का कोई भाव ही नहीं है, यह कहकर अलग हो जाना पड़ेगा। सावरकर कहते हैं कि मै निर्विवाद रुप से इस ध्येय वाक्य को मानता हूँ कि संपूर्ण मानव जाति ही केवल एक राष्ट्र है, पृथ्वी ही एक देश है और मानवता ही एक धर्म है। जब आप इस ध्येय वाक्य को व्यवहार में लायेगे तब आपको महसूस होगा कि इस ध्येय वाक्य का प्रथम हस्ताक्षर हिन्दू जाति एवं हिन्दू राष्ट्र ही है। सावरकर कहते हैं कि अंग्रेज, फ्रेंच, जापान, अमेरिकन को राष्ट्र की पदवी परम्परागत भूमि पर निवास के कारण मिली है तो हिंदुओं को भी राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

दो सौ वर्षों के समान अतीत, एकत्र निवास स्थान, समान आर्थिक हित, से यदि अमेरिका सदृश अनेक वंश, जाति एवं भाषा के भेदों से युक्त क्षेत्र एक जीवित राष्ट्र हो सकता है, तो पौराणिक राम–कृष्ण का श्रुति रामायण, महाभारत का काल छोड़ भी दिया जाय तो हम हिंदुओं के पीछे चन्द्रगुप्त से लेकर दो हजार से अधिक वर्षों के इतिहास का जो सम्मान और महत्त्व, भव्य भूतकाल हिमालय के समान खड़ा है, उसके कारण यह हिन्दू जाति लक्षणों की कसौटी से भी एक जीवित राष्ट्र अवश्य है।

शोध का उद्देश्य

1. वीर सावरकर की हिंदुत्व की अवधारणा को समझना।
2. वर्तमान सन्दर्भ में हिंदुत्व की व्याख्या करना।
3. हिंदुत्व और भारतीय राजनीति में सम्बन्ध।

सावरकार का मत है कि हिन्दू के नाम, जीवन एवं व्यवहार समान हैं। हिन्दुओं के त्यौहार समान है दीपावली, भैयादूज, होली में पूरा हिन्दुस्तान समान रूप से उत्साह एवं उमंग में दिखलायी पड़ता है। इन त्यौहारों के धार्मिक कारणों को नजरंदाज कर दिया जाय तो भी इनमें एक सामाजिक समरसता का भाव भरा पड़ा है। इन सब तथ्यों के बावजूद भी यदि इस भू–भाग को राष्ट्र नहीं कहा जा सकता तो हमें यह कहना पड़ेगा कि विश्व में राष्ट्रीय संस्कृति जैसा कोई तत्व नहीं होता है।

इन सब तथ्यों के अतिरिक्त सावरकर मानते हैं कि संख्या बल भी राष्ट्र का एक लक्षण है। हिंदूओं के संदर्भ में संख्या पूछना कुबेर से जमानत माँगने जैसा ही है। विश्व में ऐसे भी राष्ट्र है जिनके पास अपना देश नहीं है, वे केवल भाषा की एकता एवं समान संस्कृति के कारण ही राष्ट्र कहलाये है। पोलैण्ड, हंगरी, रुमानिया, स्पेन पुर्नगाल आदि को एक करोड़ जनसंख्या राष्ट्र कहलाने के लिए पर्याप्त हो सकती है तो 30 करोड़ से अधिक कट्टर हिन्दुओं की संख्या होने पर भी भारत हिन्दू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है। एक देश, एक भाषा, एक लिपि, एक इतिहास, एक भूतकाल, एक भविष्यः एक संस्कृति, एक पितृभूमि, एक पुण्यभूमि इतने आत्मीय संबंधों से तीस करोड़ संख्या बल का यह हिन्दू राष्ट्र संसार के महान राष्ट्रों में भी एक महत्तम राष्ट्र है।

सावरकर हिन्दुत्व एवं राष्ट्रवाद के मध्य कोई भी विरोधाभास नही देखते है। वे मानते है कि हिन्दू भक्त भारत माँ में अपनी आस्था प्रकटीकरण के बिना अपना नाम सार्थक नहीं कर सकता है। हिन्दूओं के लिए यह देश पितृभूमि एवं पुण्यभूमि है। यही कारण है कि यहाँ के निवासी हिन्दुस्तान से असीमित प्रेम करते हैं। सावरकर यह सिद्ध करने में सफल रहे कि हिन्दू सभी प्रकार से एक राष्ट्र हैं क्योंकि इनके पास शताब्दियों से रहने का एक निश्चित स्थान है, इनकी एक प्राचीन भाषा एवं लिपि है। इनके धर्मों का जन्म इस भूमि में हुआ है। इनके पूर्वज भी इस भूमि में निवास करते आये हैं तथा इनकी संस्कृति समान होने के साथ–साथ इनके पास संख्या बल की कोई कमी नहीं है।[3]

हिंदुत्व, एक शब्द, जो कि 1923 के पैम्फलेट "हिंदुत्व हू ए हिंदू है?" में विनयक दामोदर सावरकर द्वारा लोकप्रिय किया गया है, क्या यह लंबे समय से भारत में गहन बहस और राजनीतिक प्रवचन का विषय रहा है। प्रारंभ में भारतीय उपमहाद्वीप में निहित एक सांस्कृतिक और सभ्यतावादी पहचान एवं आवधारण के रूप में, हिंदुत्व दशकों से विकसित हुआ है, विभिन्न सामाजिक–राजनीतिक संदर्भों में अलग–अलग अर्थों को लेते हुए। 21 वीं शताब्दी में, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जैसे राजनीतिक दलों के उदय और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) जैसे संगठनों के प्रभाव, हिंदुत्व ने खुद को केवल एक सांस्कृतिक धारणा के रूप में नहीं बल्कि एक शक्तिशाली राजनीतिक विचारधारा के रूप में आश्वस्त किया है। वर्तमान संदर्भ में हिंदुत्व को समझने के लिए अपनी ऐतिहासिक जड़ों, राजनीतिक अभिव्यक्तियों, सामाजिक–सांस्कृतिक निहितार्थों और भारत के विचार पर एक धर्मनिरपेक्ष और बहुवचन राष्ट्र के रूप में इसके प्रभाव की एक बारीक अन्वेषण की आवश्यकता है।

हिंदुत्व का ऐतिहासिक संदर्भ

वर्तमान को समझने के लिए, अतीत को देखना आवश्यक है। राजनीतिक अनिश्चितता के समय हिंदुत्व को तैयार किया गया था। 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष, पैन–इस्लामिक आंदोलनों के उद्भव और सांस्कृतिक पहचान को खोने के भय से कुछ हिंदू नेताओं को चिह्नित किया गया था। हिंदुत्व की सावरकर की परिभाषा धार्मिक की तुलना में अधिक जातीय और क्षेत्रीय थी – इसने उन लोगों द्वारा साझा की गई सामान्य संस्कृति, वंश और सभ्यता की भावना पर जोर दिया, जिन्होंने भारत को अपनी पवित्र भूमि (पितृभूमि और पुण्यभूमि) माना।

हिंदुत्व को बाद में 1925 में स्थापित आरएसएस जैसे संगठनों द्वारा सुदृढ़ बनाया गया था, जिसमें ''हिंदू समाज को व्यवस्थित करने'' की मांग की गई थी और हिंदुओं के बीच अनुशासन, एकता और सांस्कृतिक गौरव की भावना पैदा की गई थी। इन वर्षों में, विचारधारा बदलतें राजनीतिक परिदृश्य के अनुकूल हो गई, विशेष रूप से 1947 में भारत के विभाजन के बाद, जिसे कई हिंदुत्व समर्थकों ने मुस्लिम राजनीतिक नेताओं द्वारा विश्वासघात के रूप में देखा।

भारत सरकारः धर्मनिरपेक्षता का संवैधानिक आदर्श

हिंदुत्व के प्रमुख आलोचकों में से एक यह है कि यह मौलिक रूप से भारत की धर्मनिरपेक्षता के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता को चुनौती देता है। पारंपरिक भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों से समान सम्मान और दूरी पर आधारित है। हिंदुत्व, आलोचकों का तर्क है, इसे एक प्रमुख दृष्टिकोण के साथ बदल देता है जो हिंदू धर्म (या इसका एक संस्करण) को मानक सांस्कृतिक ढांचे के रूप में मानता है।

भारतीय संविधान के प्रस्तावना (Preamble) में भारत को एक ''धर्मनिरपेक्ष'' (Secular) राष्ट्र घोषित किया गया है।

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यहाँ यह है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, और सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखा जाएगा।

भारत सरकार का कार्यक्षेत्र संविधान द्वारा निर्धारित है, जो धार्मिक आधार पर किसी भेदभाव की अनुमति नहीं देता।

संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस आदर्श को मजबूती देते हैं:

- **अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता।
- **अनुच्छेद 15:** धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध।
- **अनुच्छेद 25–28:** धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार।

इस प्रकार, भारत सरकार का आधिकारिक रूख हिंदुत्व की धार्मिक पहचान को समर्थन देना नहीं, बल्कि नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना है।

समर्थकों ने कहा कि हिंदुत्व सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय गौरव के बारे में है, धार्मिक कट्टरता नहीं। उनका तर्क है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता ऐतिहासिक रूप से अल्पसंख्यकों के ''तुष्टिकरण'' के लिए एक उपकरण बन गई थी और यह कि हिंदुत्व अल्पसंख्यकों को बाहर किए बिना भारत की हिंदू पहचान की पुष्टि करके संतुलन को पुनर्स्थापित करता है। फिर भी, हिंदुत्व और धर्मनिरपेक्षता के बीच तनाव भारत के समकालीन राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य की एक परिभाषित विशेषता है।'[4]

स्वतंत्र भारत में हिंदुत्व का विकास

स्वतंत्रता के बाद के दशकों में, भारत की राजनीतिक मुख्यधारा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व रहा जिसने धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद की वकालत की थी। भारतीय जनसंघ (भाजपा के पूर्ववर्ती) जैसी हिंदुत्व–उन्मुख पार्टियां भारतीय राजनीति के किनारे बनी रही, हालांकि, 1980 के दशक के उत्तरार्ध से स्थिति बदलने लगी। शाह बानो केस (1985), द अनलॉकिंग ऑफ द बाबरी मस्जिद साइट (1986), और इसके बाद भाजपा और अन्य संबद्ध संगठनों के नेतृत्व में राम जन्मभूमि आंदोलन जैसी प्रमुख घटनाओं ने हिंदुत्व को राष्ट्रीय फोकस में लाया।

21 वीं सदी में, विशेष रूप से 2014 के आम चुनावों मेंप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद हिंदुत्व पर बहस तेज हो गई, भारतीय जीवन के हर पहलू को छूते हुए – लोकप्रिय, संस्कृति, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और यहां तक कि विदेश नीति, एवं समकालीन राजनीति में हिंदुत्व का प्रभावस्पष्ट दिखाई दे रहा है।

चुनावी प्रभुत्व और भारतीय राजनीति

भारतीय मतदाताओं की बदलती मानसिकता को 2014 के संसदीय चुनाव की वजह से दुनिया ने स्वीकार कर लिया है। उसके बाद हर किसी ने इस तथ्य पर गौर किया कि भारतीय नागरिक हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के प्रति समर्पित हैं और वे अपने भावनात्मक विश्व के प्रति सचेत हैं। इस परिवर्तन का फल था कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव लाने और अपने हिंदू मतदाताओं को कुछ लगाव का प्रदर्शन कर खुश करने के बारे में सोचा, कम–से–कम ऊपरी तौर पर ही सही हिंदुओं की भावनात्मक कुशल–क्षेम की परवाह दिखाई। कांग्रेस मुख्यालय ने निर्णय लिया कि 2014 तक तिरस्कृत मसलों को अब सम्मानजनक माना जाएगा। उसके बाद राहुल गांधी समेत सभी नेताओं ने अपनी कार्यप्रणाली और चुनाव–प्रचार की दिशा में परिवर्तन किया।

राष्ट्रीय स्तर (2014, 2019) में और कई राज्यों में भाजपा की क्रमिक चुनावी जीत हिंदुत्व की मुख्यधारा को रेखांकित करती है। पार्टी के मेनिफेस्टो, अभियान और सार्वजनिक आख्यानों ने अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक गौरव और हिंदू पहचान के मुद्दों को जोड़ दिया। '' सबका साथ, सबका विकास '' जैसे नारों की व्याख्या अक्सर एक हिंदुत्व ढांचे के भीतर की जाती है, जो सांस्कृतिक एवं राजनैतिक रूप से अभी तक के समावेशी विचारों को भारत में बढ़ावा दे रही है।'[5]

भारत सरकार और वीर सावरकर का प्रभाव

हाल के वर्षों में कई नीतिगत निर्णयों में वीर सावरकर का दर्शन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जम्मू और कश्मीर (2019) में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण द्वारा ''विशेष स्थिति'' को समाप्त करने और मुस्लिम–बहुल राज्य को पूरी तरह से भारतीय संघ में एकीकृत करने के रूप में देखा गया।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिकों के नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) ने अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिमों के बीच आशंका जताई कि नागरिक अधिकारों को धार्मिक लाइनों पर फिर से परिभाषित किया जा रहा है।

मंदिर की राजनीति, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या विवाद (2019) पर फैसला, और राम मंदिर के निर्माण को हिंदुत्व आंदोलन की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के रूप में देखा जाता है।

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यह कहते हुए आत्मविश्वास से भरे थे कि इस देश का निर्माण वेदों और उपनिषदों की मजबूत बुनियाद पर हुआ है। इस मजबूत बुनियाद का निर्माण इस्लाम और ईसाइयत के जन्म से बहुत पहले हुआ था। आज भी यह राष्ट्र जीवन से भरा है तो इसका कारण है कि यह प्राचीनकाल की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी ने हमारे सामने भक्त प्रह्लाद, राजा हरिश्चंद्र, पतंजलि और अन्य अनेक महापुरुषों के जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया, क्योंकि इन महात्माओं का जीवन आज भी देश के कोने–कोने में आम लोगों का प्रेरणास्त्रोत बना हुआ है। उनके उदाहरणों से आंतरिक शक्ति का संचार होता है, जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। सावरकर और हेडगेवार इस शाश्वत सत्य की अनदेखी नहीं करने का अनुरोध करते रहे। दुर्भाग्य से पिछले कुछ दशकों से इन सत्यों को खारिज करने का अपवित्र कार्य होता रहा है।

सावरकर ने किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र की स्थापना की आवश्यकता बताना और इसे भारत के हिंदूकरण के माध्यम से करने का दावा कभी नहीं छोड़ा, हालाँकि यह उनके जीवनकाल में नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी ने 2013 में उस छूटी हुई डोर को थाम लिया। बाद में भारतीय मतदाता उनके साथ मजबूती से खड़े हो गए, पहले 2014 के संसदीय चुनाव में, फिर 2019 के चुनावों में मोदी और भाजपा के हिंदू–समर्थक रुख को बड़ी जीत मिली। मतदाताओं का यह निर्णय दुनिया के लिए एक संदेश था कि आखिरकार सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। प्रिंट मीडिया के बहुमत ने इसे स्पष्टता से स्वीकार कर लिया। संदेश यह था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। एक बार फिर बड़े बहुमत ने इस तथ्य का समर्थन कर दिया, फिर भारत अदम्य आत्मविश्वास के साथ विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है। मतदाताओं ने भाजपा शासन के पाँच वर्षों के मिजाज का अनुभव किया है और फिर से उन्होंने 2019

में नरेंद्र मोदी को बड़ी जीत दिलाई। स्वातंर्त्यवीर सावरकर जीवन भर इन तथ्यों को स्वीकार किया और यह भविष्यवाणी भी करते रहे कि इस सत्य के समर्थक भारत के सच्चे तीर्थयात्री होंगे। बहुत लम्बे समय बाद में भारतीय मतदाताओं ने इस सत्य को स्वीकार किया।

वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकों में जाति, संप्रदाय और मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं करते। कुल मिलाकर वे अपेक्षा करते हैं कि मुसलमान वीटो पावर की अपेक्षा न करें, जैसा कि पहले कहा गया है कि उन्होंने नई दिल्ली के औरंगजेब मार्ग से औरंगजेब का नाम हटा दिया पर यह अधिक प्रासंगिक है कि अब उस मार्ग का नामकरण डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नाम पर किया गया है। यह स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि आज का भारत डॉ. कलाम जैसे मुसलमानों का आदर और सम्मान करता है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति को देखें तो वह एकतरफा ढंग से अमेरिका के हितों के इर्द–गिर्द सिमटी हुई है, जबकि मोदी सरकार की विदेश नीति यह सोचती है कि बांग्लादेश जैसे पड़ोसी के प्रति उदारता बरती जाए। यह खुला तथ्य है कि सभी मुस्लिम देशों, मध्य–पूर्व से फारस की खाड़ी तक के साथ मोदी सरकार ने जायज व न्यायपूर्ण बरताव किया है। इन देशों ने महसूस किया है कि मोदी सरकार भारत में वास्तविक धर्मनिरपेक्षता का कार्यान्वयन कर रही है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत के वर्तमान शासक गैर–हिंदुओं के प्रति संतुलित और समावेशी नीतियाँ लागू कर रहे हैं, जिसे उन्होंने सावरकर और गोलवलकर से विरासत में प्राप्त किया है।

भारतीय मतदाताओं ने प्रमाणित किया है कि जैसे काँग्रेस पार्टी की धर्मनिरपेक्षता बनावटी और असत्य है, वैसे ही उनका राष्ट्रवाद भी झूठा दिखावा है। कांग्रेस केवल वोटों से प्यार करती है। वह 2014 से पहले मुसलमानों से प्यार करती थी और हिंदू वोटरों के लिए उसकी आसक्ति 2014 के बाद उत्पन्न हुई है, दोनों ही बेहद नाटकीय हैं।

भारतीय जनमानस अब कांग्रेस नेताओं से कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं, जब वे मठ और मंदिर में जाते हैं। क्या कांग्रेस वादा करती है कि इसके बाद से हिंदुओं का सचमुच ध्यान रखेगी? क्या सोनिया, राहुल और प्रियंका खुलेआम यह स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का जवाहरलाल नेहरू विरोध किया जाना गलत था और कांग्रेस पार्टी को वह विरोध स्वीकार्य नहीं है ? अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कांग्रेस द्वारा विरोध हिंदू भावनाओं को सदैव आहत करता है। क्या वे इसे गंभीर भूल मान सकते हैं? क्या वे स्वीकार कर सकते हैं कि सरदार वल्लभभाई पटेल, राजर्षि टंडन और लालबहादुर शास्त्री कांग्रेस नेता होने के बावजूद हिंदुत्व को प्यार करते थे? कांग्रेस के लिए सही रास्ता यह है कि राम मंदिर के निर्माण का समर्थन करे और यह स्वीकार करे कि भारत में निवास करनेवाले अनेक गैर–हिंदू भी भारतीय संस्कृति के अनुयायी हैं। इसके बाद उन्हें हमारे साथ मिलकर भारत के वास्तविक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहिए।'[6]

पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल में दिल्ली में समारोह में भाषण देते हुए ठीक ही रेखांकित किया कि आज भाजपा 15 राज्यों में सत्ता में है, इसके अतिरिक्त केंद्र में इस अकेली पार्टी की बहुमत की सरकार है। इसके बावजूद क्या हमने किसी मुसलमान के साथ कोई अन्याय या नुकसान किया? इसके विपरीत हम उन मुसलमानों का सम्मान करते हैं और देश के आम नागरिक की तरह महत्त्व देते हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में अनवर–उल–हक कई वर्षों से जरूरतमंद मरीजों को अपनी मोटरसाइकिल से अस्पताल पहुँचाकर सहायता कर रहे हैं। इसका पता चलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सामाजिक कार्यकर्ता को फोन किया और उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित करने की सूचना दी। यह अनवर–उल–हक एक चाय बागान के कर्मचारी हैं। हम ऐसे सम्माननीय व्यक्तियों को सम्मानित करना अपना कर्तव्य समझते हैं।'[7]

निष्कर्ष

वीर सावरकर का हिंदुत्व मुख्य रूप से सांस्कृतिक एकता, एवं राष्ट्रीय गौरव के बारे में था, और भारत की पहचान के बाद के उपनिवेशवाद को पुनः प्राप्त कर रहा था। आज के संदर्भ में, यह एक गहरा प्रभावशाली है – लेकिन विवादास्पद भी है – भारत की राजनीति, समाज और यहां तक कि वैश्विक छवि को आकार देने के लिए बल। चाहे वह एकता को बढ़ावा दे या बहिष्करण काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि इसके सिद्धांतों

की व्याख्या और कार्यान्वयन कैसे की जाती है

वर्तमान संदर्भ में, हिंदुत्व अब भारतीय समाज के एक खंड द्वारा आयोजित एक वैचारिक स्थिति नहीं है – यह एक शक्तिशाली राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति है जो शासन, सार्वजनिक प्रवचन और सामाजिक संबंधों को आकार देती है। यह कई भारतीयों के साथ प्रतिध्वनित होता है जो सांस्कृतिक गौरव, राष्ट्रीय एकता और एक मजबूत वैश्विक पहचान चाहते हैं फिर भी, यह समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के बारे में महत्वपूर्ण चिंताओं को बढ़ाता है। हिंदुत्व को समझना आज समर्थन या विरोध के सरलीकृत बायनेरिज से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यह अपनी ऐतिहासिक जड़ों, समकालीन अभिव्यक्तियों और विकसित होने वाली चुनौतियों की एक बारीक प्रशंसा की मांग करता है। क्या हिंदुत्व अंततः एक बहुलवादी के रूप में भारत के विचार को मजबूत करता है या कमजोर करता है, लोकतांत्रिक राष्ट्र हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक हैं।

हिंदुत्व और भारतीय राजनीति के संबंध एक जटिल और बहुपरतीय विमर्श को जन्म देते हैं।

जहाँ एक ओर हिंदुत्व भारतीय सभ्यता की गौरवगाथा और सांस्कृतिक एकता का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, वहीं भारतीय राजनीति को संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्षता के मूलभूत आदर्शों की रक्षा करनी होती है।

इस संतुलन को बनाए रखना भारत के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत का बहुलतावादी समाज केवल उसी स्थिति में समृद्ध हो सकता है जब सरकारें यह सुनिश्चित करें कि कोई भी विचारधारा, चाहे वह कितनी भी प्रभावशाली क्यों न हो, नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन न करे।

सन्दर्भ सूची

1. हल्द्वानी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (2019) *भारतीय विचारक चिंतन,* उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रशासन, हल्द्वानी, नैनीताल, पृ. 149।
2. सावरकर, विनायक दामोदर (2024) *हिंदुत्व,* प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 18–21।
3. हल्द्वानी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (2019) *भारतीय विचारक चिंतन,* उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रशासन, हल्द्वानी, नैनीताल, पृ. 150–151।
4. लक्ष्मीकांत, एम. (2020) भारत की राज व्यवस्था, MC Graw- Hill Education Private Limited, चेन्नई, तमिलनाडु, पृ. 07।
5. माहुरकर, उदय; पंडित, चिरायु (2024) *वीर सावरकरः जो भारत का विभाजन रोक सकते थे और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टि,* प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 115–116।
6. मोडक, अशोक (2024) *सावरकर विचार की प्रासंगिकता,* प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 66–68।
7. इंडियन एक्सप्रेस, मुंबई, 22 अप्रैल, 2017, पृ. 3–4।

****